"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2014— भाद्र 10, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2014/570. — छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना हैं, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्र. S O - 41), मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-चार के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाए, अर्थात् :-

" **टीप** - सहायक शिक्षक (पंचायत), जो वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि धारण करता हो, कला विषयों में शिक्षक (पंचायत) के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2014/571. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2014/570, दिनांक 01-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 1st September 2014

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2014/570.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period, in office hours by the office of the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat & Rural Development, (Room No. SO-41), Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

After Schedule-IV, the following note shall be added, namely :-

" **Note** - Assistant Teacher (Panchayat), who is having graduation degree in Commerce, shall be eligible for promotion to the post of Teacher (Panchayat) in Arts subjects."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIKHA RAJPUT TIWARI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.